

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक § बेसिक §
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

नोएडा एजुकेशनल एकेडमी मंगल-विकास क्षेत्र-निसरवा
डा. - गैमा नोएडा - जिला गौतमबुद्धनगर ।

2002-03

पत्रांक सं. शि.स./ 750-55 /02-03 दिनांक 15.6.02
विषय:- जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक -1-06-2002- में लिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 646/15-6-97-18 एतः 7889 शिक्षा § 68 अनुभाग लयनउ दिनांक 13 अगस्त 1997 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कक्षिय प्रतिबन्धों के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल § कक्षा 6 से 8 तक § स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है ।

प्रतिबन्ध:- विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्तों पूर्ण कर अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता में परिवर्तित नहीं करा ली जाती ।

2-प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिमम वेजजरेक्ट के तहत चैक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा ।

3-विद्यालय में छात्रों के चरित्रनिर्माण से संबंधित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्पत्ति के लिये जारी विभिन्न शासनोद्देश्यों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये ।

4- समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये ।

5- शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा । भवनशुल्क/कैपिटेशनफीस के रूप में कोई धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा ।

6- मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/ शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान महंगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान आर्हता वाले शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहेहोंगे ।

7-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई संस्करण न तो वेस्ट किया जायेगा और पोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा ।

Principal
Noida Educational Academy
Senior Secondary School
Bhangel, Sector-110, Noida

Manager-2
NOIDA EDUCATIONAL ACADEMY
Bhangel, Sec-110, Noida, G.B. Nagar

- 8- विद्यालय में शिक्षा मा माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य लिप्य के स्थ में पढ़ाई जायेगी । विद्यालय में अस्थीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा ।
- 9- विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा ।
- 10- विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्यापक/ अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये ।
- 11- विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये ।
- 12- विभागीय आदेशों का पालन किया जाये ।
- 13- विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/ अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए ।
- 14- विद्यालय कानिरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों और समय समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा ।
- 15- विभागीय आदेशों / नियमों की अवेहलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है ।
- 16- जिन विद्यालयों के शिक्षण बक्ष छोटे हैं वह 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करते हुए छात्रों को बैठाये तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित माप 20x25 की माप के बक्षों का निर्माण कराये ।

भवदीय,

सहायक शिक्षा निदेशक § बेसिक §
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

पृ० सं० शि.स./

/११×१०००

दिनांक

प्रतिलिपि निम्नसंकेत अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- अपर शिक्षा निदेशक § बेसिक § उ. प्र. इलाहाबाद ।
- 2- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
- 3- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - ~~गौतमगुहनगर~~ -
- 4- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी - ~~गौतमगुहनगर~~ - -
- 5- शिक्षा अधीक्षक/ अधीक्षिका नगर क्षेत्र - ~~गौतमगुहनगर~~
- 6- क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी - ~~गौतमगुहनगर~~
- 7- समाज कल्याण अधिकारी - ~~गौतमगुहनगर~~


Principal
Noida Educational Academy
Senior Secondary School
Bhangel, Sector-110, Noidaसहायक शिक्षा निदेशक § बेसिक §
प्रथम मण्डल, मेरठ ।

Manager
NOIDA EDUCATIONAL ACADEMY
Bhangel, Sec-110, Noida, G.B. Nagar